


FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... 24th March 2018 Saoo मुकाम..... 01/18

..... बनाम ..... DE SILENTIA 15/18

किस्म मुकदमा... 131, 136... REPEAT नं. 262/18... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.12.18	प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद्/अपील धारा ..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.01.19 को पेश हो।	
30/01/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमात्। इन्तजार टोडर पत्रावली दिनांक 05/02/19 को पेश हो।	
05/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट नोटिस तामिल क्रम तामिल क्रमात्। इन्तजार टोडर पत्रावली दिनांक 12/02/19 को पेश हो।	



12/02/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपरीत/विपरीत  
नामिल अनुपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी  
दिनांक 12/02/19 के पत्र में  
दोहर आगामी दिनांक 27/03/19 को पत्र में।  
२

27/03/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। विपरीत/विपरीत  
नामिल अनुपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी दिनांक  
12/02/19 के पत्र में  
दोहर आगामी दिनांक 18/06/19 को पत्र में।  
२

18/06/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय  
सक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि  
कारी दिनांक 17/09/19 का  
इलतवा होकर दिनांक 17/09/19 का  
पत्र में। २

17/09/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय  
सक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि  
कारी दिनांक 17/12/19 का  
इलतवा होकर दिनांक 17/12/19 का  
पत्र में। २

17/12/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। पेंरोडा उपस्थित।  
प्रार्थी वहील बटम प्रार्थना करना चाहते हैं।  
प्रकार दिया जाय पत्रावली दिनांक 24/12/19  
को पत्र में।

विपरीत/विपरीत

सहायक प्रमुख  
(SDO) बायत

24/12/19

प्रार्थी वहील उपस्थित। सीमान पीठासीन  
अधिकारी प्रकरण में पत्रावली दे दी गयी।  
मिनाल इलतवा दोहर आगामी दिनांक 19/02/2020  
को पत्र में। २

बायतु  
बायतु  
बायतु

रोख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

19/02/20

पार्थी व पेरौकार तहसीलदार गिड़  
उपस्थित । पेरौकार जबाब पेश करना  
चाहते हैं । जबाब देते अवसर गिड़ा जाइए  
पञ्जावली दिनांक 21/04/2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु

21/04/20

पञ्जावली काज पेश हुई। डीविन-  
2019 के चलते डीट नयी लिखा गया  
सीमान पीठलीन अधिकारी गिड़ डार्थी  
में व्याप्त होने से मिशाल ईलाका डीडर  
आगामी दिनांक - 29/07/2020 को पेश हो।

29/07/20

अधिकृत गण रेफरेन्स में है।  
सीमान पीठलीन अधिकारी गिड़ डार्थी  
में व्याप्त होने से मिशाल ईलाका डीडर  
आगामी दिनांक 15/10/2020 को पेश हो।

15/10/2020

पार्थी व डील व पेरौकार तहसीलदार  
गिड़ उपस्थित । तहसीलदार गिड़ द्वारा  
जबाब पेश किया गया जिसे शामिल  
पञ्जावली किया गया । पार्थी अधिकृत की  
वदत सुनी गई, पञ्जावली व पञ्जावली के  
संलग्न राजस्व रेड्स एंवम तहसीलदार गिड़  
से प्राप्त जबाब डा क्लेकेशन किया गया  
बाद क्लेकेशन पार्थी डा क्लेकेशन रेफरेंस किया  
जाइए क्लेकेशन अलग से लिया जाइए शामिल  
पञ्जावली किया गया । पञ्जावली फोरमल सुमाद  
डीडर डी नम्बर ले डम ही दाखिल दाखल है।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी:- विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या-267/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. लाखाराम पुत्र मेहाराम 2. खरथाराम पुत्र मेहाराम 3. सुखियों पत्नी मेहाराम जातियान् जाट निवासी कंकोलगढ़, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956.

## आदेश

दिनांक:- 15/10/2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़ एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा कंकोलगढ़ पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1374/51 रकबा 11.10 बीघा का आया हुआ है। न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2014 के अनुसार तहसीलदार गिड़ा द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जिसमें मौके पर 11.10 बीघा के स्थान पर 10.00 बीघा की तरमीम कर दी गई। प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

तहसीलदार, गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा कंकोलगढ़ पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1374/51 रकबा 11.10 बीघा भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2014 के अनुसार तहसीलदार गिड़ा द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया उसके अनुसार 11.10 बीघा के अनुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विवेक व्यास)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(SDB) बायतु